[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं0 22/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 *के तहत* भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा;-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“7क	2710 19 20	एविएशन टर्बाइन फ्यूल	11%”;

2. यह अधिसूचना 11 अक्तूबर, 2018 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/383/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 04 अक्तूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 994(अ), दिनांक 04 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।